भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 741

24 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमलापुरम में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत परियोजनाएं

†741. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत अमलापुरम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत और कार्यान्वित परियोजनाओं का शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और घटक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एसबीएम-यू के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक उक्त निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और घटक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मिशन के अंतर्गत उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कितने घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल), सामुदायिक शौचालयों और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हुआ है;

(घ) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), खाद बनाने वाली इकाइयां, बायोमेथेनेशन संयंत्र और स्वीकृत तथा प्रचालनशील अन्य अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की संख्या और प्रकार सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों में घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण, स्रोत पृथक्करण और वैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान हेतु शामिल परिवारों का प्रतिशत कितना है;

(च) क्या अमलापुरम के शहरी स्थानीय निकायों में कोई विरासती कचरे स्थल चिह्नित किए गए हैं और यदि हां, तो उनके सुधार की स्थिति क्या है और इस संबंध में आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त मिशन के अंतर्गत अमलापुरम में आरंभ की गई क्षमता निर्माण पहलों का ब्यौरा क्या है और कितने सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण अथवा सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): अमलापुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी योजना को एक समान रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत

मिशन-शहरी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना, जिसे राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया जाता है, के आधार पर भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है, जिसे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को प्रेषित किया जाता है। अनुमोदित वित्तीय सहायता/परियोजनाओं का निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित 1413.30 करोड़ रुपये की धनराशि में से 1409.67 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश वाली कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया गया है और आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा 298.69 करोड़ रुपये का दावा पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत 85.43 लाख टन पुराने अपशिष्ट का निपटान, 3064 टन प्रतिदिन (टीपीडी) क्षमता वाले अपशिष्ट से खाद बनाने वाले संयंत्र, 165 टीपीडी क्षमता वाले बायो-मीथेनेशन संयंत्र, 1685 टीपीडी क्षमता वाले सैनिटरी लैंडफिल (एसएलएफ), 650 टीपीडी क्षमता वाले निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के साथ-साथ 107 मैकेनिकल रोड स्वीपर के लिए कुल 458.10 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी वाली कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

अब तक 1.93 लाख आईएचएचएल के मिशन लक्ष्य की तुलना में 2.43 लाख वैयक्तिक घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया है और 21,464 सीटी/पीटी के मिशन लक्ष्य में से 17,799 सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) सीटों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, 98% वार्डों अर्थात कुल 3,872 वार्डों में से 3,801 वार्डों में घर-घर जाकर अपशिष्ट का 100% संग्रह किया जा रहा है और 96% वार्डों अर्थात कुल 3,872 वार्डों में से 3,730 वार्डों में स्रोत पृथक्करण किया जा रहा है। जैसा कि सूचित किया गया है, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण 85.47% है अर्थात उत्पन्न हुए कुल 6,210 टन प्रति दिन (टीपीडी) अपशिष्ट में से 5,308 टीपीडी अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जाता है। अपशिष्ट की पुरानी डंपसाइटों सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का ब्यौरा https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर देखा जा सकता है।

(छ) मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम संबंधी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए राज्यों और शहरों को क्षमता निर्माण (सीबी) हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। हालाँकि, संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य का विषय होने के कारण, देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिज़ाइन करना, क्रियान्वित करना, संचालित करना तथा सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व है।

*****